



कीर्ति राठौड उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित जनों को शहर में टेला व्यवसायियों को व्यवस्थित कर उन्हें सम्मानजनक स्थिति में लाने का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रारंभिक दौर के प्रथम जोन कोर्ट चौराहा एम बी हास्पिटल मार्ग शिक्षा भवन स्वरूप सागर राडाजी चौराहा रानी रोड राजीव गांधी उद्यान देवाली छोर फतहसागर झरना यूआईटी चौराहा मीराबाई मूर्ति पार्क मोहता पार्क चेतक सर्कल हास्पिटल होते हुए भट्ट जी की बाडी स्थान की तथा वेंडिंग जोन व नोन वेंडिंग जोन की जानकारी दी।

उपायुक्त महोदया ने कहा कि कोर्ट चौराहे से चेतक सर्कल(महाराणा भूपाल चिकित्सालय के बाहर) वाला स्थान पूर्ण रूप से नो वेंडिंग जोन घोषित है जहां पर न तो टेले व्यवसायी खड़े रह सकेंगे न ही कोई टेला व्यवसायी पैदल घुम सकेगा। यह क्षेत्र पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा जहां किया भी वेण्डर को खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निर्धारित जोन के अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर ही टेले व्यवसायियों को व्यवस्थित खड़ा किया जा सकेगा। स्थान चिन्हित कर वहां डिर्माकेशन कर टेले व्यवसायियों को कूपन दिया जाएगा। कूपन देकर उस पर व्यवसाय करने वाले टेले व्यवसायी का नाम, स्थान का नाम, व्यवसाय में सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों के दो नाम अंकित किए जाएंगे।

उपायुक्त महोदया ने बताया कि जहां जहां स्थान चिन्हित किए गए हैं वहां पर वेण्डर संख्या भी निर्धारित की गई है लेकिन क्षेत्र की क्षमता के अनुसार टेले व्यवसायियों को खड़ा करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी सूरत में टेले व्यवसायियों को खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थान व लाइसेंस आवंटित होने के बाद टेले व्यवसायी के लिए वह स्थान स्थायी हो जाएगा। उसे कोई भी हटा नहीं जाएगा। कानूनी नियम के आधार पर ही उन्हें व्यवसाय करना होगा।

स्ट्रीट वेण्डर गुमान सिंह राव ने वेण्डर्स सर्वे सही नहीं होने की बात कही जिस पर आयुक्त महोदय ने कहा कि वेण्डर्स सर्वे सही ढंग से किया गया है। सर्वप्रथम स्वीकृत कम्पनी के माध्यम से सर्वे कराया गया तत्पश्चात एनयूएलएम की टीम ने पुनः उस सर्वे का भौतिक सत्यापन कर 3058 टेला व्यवसायों की सूची बनाकर उसे स्वीकृत किया और आपत्ति स्वीकार की प्रक्रिया के पश्चात् उसे अन्तिम रूप देकर प्रकाशित किया।

स्ट्रीट वेण्डर निजाम शेख में बैठक में जब वेण्डर्स सूची में से आधे वेण्डर्स के नाम ही होने एवं शेष वेण्डर्स के साथ अन्याय करने की बात उठाई तो महापौर महोदय ने कहा कि शहर की कुल जनसंख्या का ठाई प्रतिशत संख्या में टेले व्यवसायों को खड़े करने की बात कही है और कहा कि नये वेण्डर्स का स्थान चयन करना है अथवा वेण्डर्स सूची में नाम जुड़वाना है तो वह नगर निगम में आवेदन करे।

स्ट्रीट वेण्डर भेरूलाल बेरवा ने कहा कि टैले व्यवसायी का व्यापार प्रभावित नहीं हो उसकी व्यवस्था की जाये जिस पर उपायुक्त ने कहा कि हम यहा सभी टैले व्यवसायी को व्यवस्थित करने के लिए बैठे है निश्चित रूप से टैले व्यवसायी के साथ अन्याय नहीं किया जायेगा।

स्ट्रीट वेण्डर रानु सालवी ने कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाईसेन्स दिया जायेगा जिसका कविता मोदी ने समर्थन किया।

डे एन.यू.एल.एम. समिति अध्यक्ष राकेश पोरवाल ने वेण्डर्स को व्यवस्थित करने एवं उन्हे लाईसेन्स देने की प्रक्रिया को स्वागत योग्य बताया साथ में कहा कि टैले व्यवसायी भी अपने परिवार के ही लोग है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ में सुझाव दिया कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय के पास खडे टैले व्यवसायी को अलग-अलग आवश्यकतानुसार नियत स्थान पर खडा किया जाये।

स्वास्थ्य निरीक्षक नरेन्द्र श्रीमाली ने कहा कि सुखाडिया सर्कल पर एक ही व्यक्ति ने दस टैले खडे कर किराये पर दे रखे है इसके लिए आवश्यक है एसे टैले व्यवसायी को चिन्हीत कर सूची बद्ध किया जाये जिसका टी.एस.आई. हेमन्त ने भी समर्थन किया।

पार्षद गजेश शर्मा ने किराये पर लगे टैले व्यवसायी की सूचि बनाने की बात कही, धमेन्द्र कुमावत ने कहा कि वैण्डिंग जोन एरिया में किसे कहा खडा करना है उन टैला व्यवसायी की सूचि हम बनाकर देंगे। सदस्य किरण कुमार नागौरी ने टैला व्यवसायीयों से सहयोग देने की बात कही, सदस्य जयेश चम्पावत ने कहा कि पुराने वेण्डर्स में जिन वेण्डर्स के नाम शेष रह गये है वह भी अपने नाम सूचि में जुडवा सकते है।

टाउनड वेण्डिंग की कमेटी की बैठक में उपस्थित सदस्यों में भी स्मार्ट सिटी में सहयोग करने की बात कहते हुए निर्धारित वैण्डिंग जोन व नोन वैण्डिंग जोन पर मेजे थपथपाकर अपनी सहमति व्यक्त की साथ ही टाउन वैण्डिंग कमेटी की प्रथम बैठक में बने प्रथम जोन के क्षेत्र व समायोजित स्थल का अनुमोदन कर सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। बैठक में डे एन.यू.एल.एम. की मेनेजर लता सिंह चौहान, लता जोशी, रजनी ठाकुर, सी.ओ. मनीष मेघवाल सहित अन्य उपस्थित थे।